

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प04/2019/03


दिनांक : 17/01/2019

—: आदेश :—

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा वर्ष-2018 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन हेतु निदेशालय स्तर से रोस्टर तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। निर्धारित अवधि के उपरान्त बार-बार दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी निम्नांकित चयनित चिकित्सकों द्वारा दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाये जाने के फलस्वरूप उनका चयन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है :-

S. NO.	S.No.	Name	Gender	DOB	Marital_status	Category	Ph	Score
1	45	RITVIK VINAY. A.P	Male	07-04-92	UNMARRIED	GEN	NO	77
2	46	RINKLE	Female	06-08-92	UNMARRIED	GEN	NO	77

उक्त आदेश राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 172 दिनांक 16.01.2019 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प04/2019/03

दिनांक : 17/01/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थियों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से पालनार्थ।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
7. निजि/आदेश पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।